सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 124/2016 **दायर तारीख :– 21.12.2016**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. ललित } पुत्रान प्रहलाद दास
2. किशोर दास }
3. रामा देवी पत्नि प्रहलाद दास
4. कौशल्या पत्नि गोपाल दास
5. चन्द्रप्रकाश } पुत्रान गोपाल दास
6. विकास }
7. वन्दना पुत्री गोपाल दास

समस्त जाति स्वामी निवासी मैड तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : पैरोकार सरकार
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 01.08.2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि ग्राम मैड पटवार हल्का मैड के खसरा नंबर 3352 रकबा 0.33 हैक्टेयर प्रतिवादीगण नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2070–73 है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में से 0.02 हैक्टेयर पर मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से मोबाईल टॉवर स्थापित कर रखा है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य में किया जा रहा है, जो नियम विरूद्व हैं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग में ली जा रही है, जो काश्तकरी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज. सरकार [illegible] के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. वाद/प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. पैरोकार सरकार ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2070–73, फर्द मौका दिनांक 16.12..2016, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2070–73 आदि पेश किये।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। जमाबंदी सवंत् 2070–73 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 3352 रकबा 0.33 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पैराकार सरकार का तर्क रहा कि मौके पर खसरा नंबर 3352 रकबा 0.33 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जा रही है, बल्कि मोबाईल टॉवर स्थापित कर रखा है। आराजी मुतनाजा का प्रतिवादीगण द्वारा भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादी बिना भू–रूपान्तरण आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को केवल काश्त कर सकता है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी मुतनाजा का अकृषि उपयोग किया है, जो विधिक नहीं है तथा काश्तकारी शर्तो का उल्लघंन है। चूंकि प्रतिवादीगण के खाते में आराजी मुतनाजा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिए प्रतिवादीगण कृषि प्रयोजनार्थ से इतर भूमि का उपयोग/उपभोग नहीं कर सकता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 में यह स्पष्ट है कि ''अभिधारी अपनी जोत(भूमि) में भूमि के लिए अहितकारी कार्य या जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है उससे असंगत कार्य करेगा तो बेदखली का दायी होगा''। यहां यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने कृषि से इतर उपयोग किया है। अतः वाद पत्र के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पैरोकार सरकार की बहस से स्पष्ट है कि वाद दायरी से पूर्व मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग किया जा रहा था। आराजी मुतनाजा कृषि है, जिसका मौके पर अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग हो रहा है, जो कि अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

वादी (पैरोकार सरकार)का वाद डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम मैड के खसरा नंबर 3352 रकबा 0.33 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर भूमि को अकृषि उपयोग मौके पर मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग में आने के कारण सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण की खातेदारी हजफ कर अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 01.08.2019 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested